राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.20(14)न्याय/2006 जयपुर दिनांक 24/05/2021

अधिसूचना

नोटेरी अधिनियम, 1952 एवं नियम, 1956 के नियम 4 के अन्तर्गत जिला अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बून्दी, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुन्झुनू, जयपुर, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, कोटा, करौली, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर में नोटेरी पब्लिक के विभिन्न रिक्त पद/पदों (115 नोटेरी पब्लिक के रिक्त पदों) हेतु कार्यरत अधिवक्ताओं तथा नियमानुसार पात्र अन्य अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.08.2018 से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे।

अपरिहार्य कारणों से इस विभाग की उक्त समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.08.2018 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से
24.5.2021
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, विधि, राज. जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर/जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजस्थान।
3. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय
4. अध्यक्ष, संबंधित बार एसोसिएशन।
5. संबंधित तहसीलदार।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज. जयपुर को राज पत्र के विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।

24.5.2021
(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव